

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 17(1)साप्र/2/13—पार्ट

जयपुर, दिनांक : 06.11.2013

—: आदेश :—

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के समुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतदद्वारा आवंटन/परिवर्तन किए जाते हैं :—

क्र. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि
1	101 / 05	श्री शिवराम सिंह कनिष्ठ लेखाकार लेखा शाखा, कृषि आयुक्तालय, जयपुर	4 / 20, गांधीनगर	31.8.2027
2	143 / 2008	श्री दीप चन्द वरिष्ठ लिपिक कार्यालय संसदीय सचिव (एन) शासन सचिवालय, जयपुर	4 / 118, गांधीनगर	30.4.2020
3	28ए / 2009	श्रीमती सरोज यादव नर्स ग्रेड-ा महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर	4 / 28, गांधीनगर	31.7.2037
4	45 / 2010	श्री हेमेन्द्र गोयल वरिष्ठ लिपिक राज्यमंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	4 / 51, गांधीनगर	31.12.2039
5	56 / 10	श्री रामफूल मीणा सहायक रेडियोग्राफर सरकारी मानसिंह चिकित्सा मानसिंह चिकित्सा लाइसेंस	4 / 83, गांधीनगर (4 / 40, गांधीनगर के ज्यान पर परिवर्तन)	31.8.2034
6	58 / 2010	श्रीमती सुशीला चौधरी नर्स ग्रेड-ा सरकारी मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	4 / 37, गांधीनगर (4 / 94, गांधीनगर के ज्यान पर परिवर्तन)	31.10.2043
7	65 / 2010	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा कनिष्ठ लिपिक गणिस्ट्रार सहकारी समितिया जयपुर	4 / 100, गांधीनगर	31.3.2020
8	66 / 2010	श्री यतेन्द्र खण्डेलवाल कनिष्ठ लिपिक अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, फास्ट ट्रेक कम-1, जयपुर नगर, जयपुर	4 / 105, गांधीनगर	31.1.2033
9	67 / 2010	सुश्री प्रिति देवी प्रयोगशाला सहायक वरिष्ठ रसायनज्ञ, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान (कार्यालयाध्यक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी) भू जल विभाग, डगलानगर इूपरी, जयपुर	4 / 115, गांधीनगर	30.11.2046
10	152 / 2010	श्री सुखदेव बौद्धरी वरिष्ठ लिपिक कार्यालय उप सचिव (जे) मुख्यमंत्री कार्यालय शासन सचिवालय, जयपुर	4 / 140, गांधीनगर	28.2.2023

शर्त :—

- आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस भै लिया जायेगा। इस अधिकारी में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और इसकी नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर रथानान्तरण हो जाने पर इस विभाग द्वारा रूचित करना होगा। तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।

5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन रथान पर निजी आवास बन जाए /क्य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन रचीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता वन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजावाने का नम कराने।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाखी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी।
 1. आदेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आदेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा दो दो स्वयं/पति/पत्नि व उन पर अक्षित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्भित/क्य नहीं किया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से
राजेन्द्र प्रसाद खोरानिया

(राजेन्द्र प्रसाद खोरानिया)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, भिन्नी सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन), कृषि आयुक्तालय (लेखा शाखा), जयपुर।
4. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, कार्मिक (व्य-1) विभाग, जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, राजकीय माहला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर।
7. प्रभारी अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. उप रजिस्ट्रार (प्रशासन), सहकारी समितियां, जयपुर।
9. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन शाखा), अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, फारस्ट ट्रेक (क्रम-1), जयपुर नगर, जयपुर।
10. वरिष्ठ रसायनज्ञ, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, (कार्यालयाध्यक्ष आरग एवं वितरण अधिकारी), भू-जल विभाग ज्ञालाना ढूगरी, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. विधायिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
13. प्रबन्ध निदेशक, राजकोन, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर - कृपया उक्त आदेश को रामाया प्रश्न सन विभाग की वेद साईट पर अपडेट करने का नम करावें।
14. अधिशाखी अभियन्ता, साठनियोगी/जन रवाऊ अभियोगी विभाग विधिविभाग लिंग मौदीनगर, जयपुर।
15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग की गोदीनगर, जयपुर।
16. सम्बन्धित कर्मचारागण। सम्बन्धित कर्मचारियों में क्रम संख्या 5 एवं 6 पर दर्ज कर्मचारियों को भेज कर लेख है कि नवीन परिवर्तित आवासों का कब्जा लेकर पूर्ण में आवंटित आवासों को रिक्त करे।
17. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राप्राविधि।
18. रक्षित पत्रावली।

5.2.4
मुन्हलाल शमा ०८/११/१३
सहायक शासन सचिव